फा. सं. 11012/06/2016-स्था.क-III

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

***

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

दिनांक: 19 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : जहां सरकारी सेवक को दोषमुक्त कर दिया गया है तथा अपील की जानी विचाराधीन है उस स्थिति में सीलबंद लिफाफे की प्रक्रिया पर अनुदेश के स्पष्टीकरण के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को भारत संघ बनाम के.वी.जानकीरमन आदि (एआईआर 1991 एससी 2010) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय में दिनांक 27.08.1991 के निर्णय के प्रकाश में जारी किए गए इस विभाग के दिनांक 14.09.1992 के कार्यालय ज्ञापन सं. 22011/4/91-स्था.क का संदर्भ देने का निदेश हुआ है। जिन मामलों में सरकारी सेवक को ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है लेकिन निर्णय के विरूद्ध एक अपील या तो विचाराधीन है या व्यापार की गई है, उन मामलों में की गई कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने वाले संदर्भ प्राप्त हुए हैं। बैंक ऑफ इंडिया तथा अन्य बनाम देगाला सूर्यनारायण, 1997, (1999) 5 एससीसी 762 की अपील (सिविल) 3053-54 सहित विभिन्न न्यायालयीय निर्णयों के प्रकाश में विधिक कार्य विभाग की परामर्श से इस मुद्दे का परीक्षण किया गया है तथा इस संबंध में निम्न प्रकार से स्पष्टीकरण दिया जाता है:

i. जब विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिश को केवल आपराधिक मामले के लंबित रहने के आधार पर सीलबंद लिफाफे में रखा गया है, उस स्थिति में सीलबंद लिफाफे को सरकारी सेवक को दोषमुक्त किए जाने की स्थिति में खोला जा सकता है परंतु शर्त यह है कि इस पर उच्च न्यायालय द्वारा रोक न लगाई गई हो।

ii. तथापि पदोन्नति के मामले में उल्लेख किया जा सकता है कि पदोन्नति, उस अपील के परिणाम के अधीन अनंतिम है जिसे सरकारी सेवक की दोषमुक्ति के विरूद्ध दायर किया जा सकता है। इस प्रकार पदोन्नति पर उस कार्रवाई का प्रभाव नहीं पड़ेगा जो ऐसी स्थिति में की जा सकती है, जब सेवक को दोषमुक्त करने वाला ट्रायल कोर्ट का निर्णय रद्द कर दिया जाता है।

iii. यदि अपील करने पर सरकारी सेवक दोषी पाया जाता है, तो निम्नलिखित कार्रवाई की जाएगी:

क. अनंतिम पदोन्नति को अस्थायी माना जाएगा, तथा सरकारी सेवक प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

ख. यदि सरकारी सेवक को 48 घंटों से अधिक के लिए कारावास का दंड दिया जाता है, तो उसे दोषसिद्धि की तारीख से नियम 10(2) के अनुसार निलंबित माना जाएगा।

ग. दिनांक 11 नवम्बर, 1985 तथा 4 अप्रैल, 1986 के कार्यालय ज्ञापन सं. 11012/11/85-स्था.(क) के साथ पठित सीसीएस (सीसीए) नियमावली, 1965 के नियम 19(।) के अंतर्गत् कार्रवाई की जाएगी।

2. सभी मंत्रालयों/विभागों से उक्त अनुदेशों को सभी संबंधितों के संज्ञान में लाने तथा तदनुसार कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्था.)
दूरभाषा : 23093176

सेवा में,

सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव (मानक सूची के अनुसार)

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
2. उप राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली ।
3. प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली ।
4. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली ।
5. राज्य सभा सचिवालय/लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली ।
6. भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
7. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली ।
8. सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, नई दिल्ली ।
9. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत सभी संबद्ध कार्यालय ।
10. सचिव, राष्ट्रीय परिषद् (जेसीएम), 13 फिरोज़ शाह रोड, नई दिल्ली ।
11. सभी मंत्रालयों/विभागों के मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
12. एडीजी (एमएंडसी), प्रेस सूचना ब्यूरो, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ।
13. कार्यालय ज्ञापन एंव आदेश→स्थापना→सीसीएस (सीसीए) नियमावली के शीर्ष के अन्तर्गत इस मंत्रालय की वेबसाइट पर अद्यतन करने के लिए एनआईसी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को।

(मुकेश चतुर्वेदी)
निदेशक (स्था.)
दूरभाषा : 23093176